विद्यालय - STEMFORD INT SCHOOL (P48643) आवेदन क्रमांक : 21903

मान्यता कोड : RJSKR21265

## कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक(प्रथम/द्वितीय)SIKAR , राजस्थान

क्रमांक: जिशिअ/मा-1/सी/मान्यता-3/2017/1457 दिनांक 28/8/17

सचिव

प्रबंध समिति

STEMFORD INT SCHOOL

**विषय - राजस्थान गैरसरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 के नियम 5 के उपनियम (8) के तहत विद्यालय के लिए मान्यता क्रमोन्नति एवं अन्य हेतु प्रमाणपत्र।**

आपके आवेदन पत्र क्रमांक 21903 और इस सम्बन्ध में संस्था/ विद्यालय के साथ किये गए पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के सन्दर्भ में, STEMFORD INT SCHOOL पता NAWALGARH ROAD, KUDLI,SIKAR ग्राम पंचायत/ शहरी स्थानीय निकाय NP_SIKAR ब्लॉक PIPRALI को निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित शर्तों के अधीन निम्नानुसार मान्यता मंजूर करता हूँ :-

| क्रमोन्नति | |
|---|---|
| पूर्व मान्यता के अनुसार विद्यालय की श्रेणी | Primary with Upper Primary (1-8 ) |
| क्या विद्यालय मान्यता वर्ष से कक्षा 9 के साथ कक्षा 10 / कक्षा 11 के साथ कक्षा 12 संचालित करना चाहता है | No |

1. विद्यालय, राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 के उपबन्धों का पालन करेगा।
2. विद्यालय कक्षा1 से 8 तक की शिक्षा के सम्बन्ध में नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा राजस्थान नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. राज्य सरकार/विभाग द्वारा समयसमय पर प्रसारित नियमों/आदेशों/निर्देशों का अनिवार्यत पालन करना होगा तथा वांछित सूचनाऐं/अभिलेख अविलम्ब उपलब्ध करवाने होंगे।
4. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर अथवा विभागीय निरीक्षण के समय विद्यालय के लिए निर्धारित मापदण्ड (भौतिक एवं वित्तीय) मय किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर मान्यता समाप्ति की कार्यवाही की जायेगी।
5. विद्यालय द्वारा भविष्य में कभी भी राज्य सरकार से अनुदान की मांग नहीं की जाएगी।
6. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के मान्यता सम्बन्धित विनियमों की पालना करनी होगी एवं मान्यता प्रप्ति के बाद विद्यालय को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर से सम्बद्धता हेतु बोर्ड द्वारा निर्धारित अवधि में आवेदन करना होगा।
7. विद्यालय का नाम/भवन/वर्ग/माध्यम परिवर्तन इत्यादि विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से स्वीकृति प्राप्त कर ही किए जाएँगे।
8. विद्यालय को दी जा रही मान्यता के अनुसार उसी सत्र में कक्षाऐं प्रारम्भ करनी होंगी, मान्यता के अनुसार उस सत्र में कक्षाऐं संचालित नहीं होने पर मान्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।
9. माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर की क्रमोन्नति होने पर मान्यता के वर्ष में ही कक्षा9 के साथ कक्षा 10/कक्षा11 के साथ कक्षा 12 उसी स्थिति में चलाई जा सकती है, जब इसकी स्वीकृति मान्यता प्रमाणपत्र में दी गई हो।

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक- प्रथम, सीकर

Principal
Stemford International School
Kudli Stand, SIKAR

PRINCIPAL
Stemford International School
Nawalgarh Road Kudli SIKAR
Aff.To CBSE New Delhi
Aff. No.1731035

President
Modern Techno Care Shiksha Samiti
Kudli, Sikar (Rajasthan)



Scanned by CamScanner

29

# कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, सीकर

## कार्यालय आदेश

श्रीमान् निदेशक प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर, राजस्थान के आदेश क्रमांक: शिविरा/प्राप/शैक्षिक/सी-एफ/19626/निशिस/ऑनलाईन मान्यता/16-17 दिनांक 21.04.2016 व दिनांक 05.05.2016 के निर्देशानुसार निम्नांकित गैर सरकारी संस्था को उनके द्वारा आवेदन पत्र, शपथ पत्र, अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करने एवं निरीक्षण दल की रिपोर्ट के आधार पर निम्न शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से उनके द्वारा संचालित किये जाने वाले विद्यालय को क्रमोन्नत कर उच्च प्राथमिक स्तर की मान्यता का आशय पत्र जारी किया जाकर सत्र 2016-17 से कक्षा 8 तक विद्यालय संचालन करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। विद्यालय संचालन की सूचना एवं संलग्न प्रपत्र आवश्यक रूप से भर संबंधित ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में भिजवायें।

1. संस्था को राजस्थान गैर सरकारी संस्था अधिनियम 1989 एवं 1993 में वर्णित सभी प्रावधानों व मानदण्डों की पालना करनी होगी, शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्क्रम के अनुसार ही शिक्षण कार्य करवाना होगा।
2. संस्था को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (केन्द्रीय अधिनियम) और राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 के सभी उपबन्धों की शत प्रतिशत पालना करना अनिवार्य होगा।
3. प्रधानाध्यापक, शिक्षक एवं शारीरिक शिक्षक सभी प्रशिक्षित एवं निर्धारित योग्यताधारी हो।नियमित रूप से नामांकन, संस्थापन व अन्य सूचनायें उच्चाधिकारियों को प्रस्तुत करनी होगी।
4. संस्था को किसी प्रकार का अनुदान देय नहीं होगा।
5. संस्था को नियमानुसार समान परीक्षा शुल्क एवं प्रतिवर्ष क्रीडा शुल्क नियमानुसार समय पर जमा करवाना होगा।
6. संस्था को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र प्रति तीन वर्ष में आवश्यक रूप से जिला शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में प्रस्तुत करना होगा।
7. विद्यालय में आवश्यक रूप से अग्निशमन यंत्र स्थापित करना होगा।
8. संस्था द्वारा विद्यालय संचालन नहीं करने पर मान्यता का आशय पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा।
9. विद्यालय के नाम, स्थान भवन परिवर्तन सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना नहीं किया जा सकेगा।
10. राज्य सरकार एवं शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों व नियमों की पालना नहीं करने एवं विद्यालय निरीक्षण के समय अनियमितता पायी जाने पर तत्काल प्रभाव से मान्यता का आशय पत्र निरस्त किया जा सकता है।

| क.स. | विद्यालय का नाम | माध्यम | ब्लॉक का नाम |
|---|---|---|---|
| 1 | स्टेमफॉर्ड इन्टरनेशनल स्कूल, कुडली बस स्टेण्ड के पास, कुडली | अंग्रेजी | पिपराली |

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा, सीकर
दिनांक: 05.12.2016

क्रमांक जिशिअ/प्राशि/सी/विधि/मान्यता/2016/230
प्रतिलिपि-सूचनार्थ /पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
1. श्रीमान् निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
2. श्रीमान् उप निदेशक प्रा0शि0 जयपुर संभाग,जयपुर।
3. श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी मा0 प्रथम/द्वितीय, सीकर।
4. ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी समय-समय पर विद्यालयों का निरीक्षण कर विभागीय निर्देशों व शर्तों की पालना
5. सुनिश्चित करवायेगें।
6. संबंधित संस्थाप्रधान/सचिव/अध्यक्ष ..........
7. प्रभारी/सामान्य/शैक्षिक प्रकोष्ठ/सांख्यिकी /आर टी ई /संस्थापन शाखा कार्यालय हाजा, सीकर।
8. रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा, सीकर

SLb
Principal
Stemford International School
Kudli Stand, SIKAR

PRINCIPAL
Stemford International School
Nawalgarh Road, Kudli SIKAR (Raj.)
Aff. To CBSE New Delhi
Aff. No. 1731035

President
Modern Techo Care Shiksha Samiti
Kudli (Sikar)

Scanned by CamScanner

# कार्यालय:जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा ,सीकर

## कार्यालय आदेश

श्रीमान् निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक:शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/सी/19626/मूल मान्यता/11–12 दिनांक:13.01.2012 एवं दिनांक 30.03.2012, 05.06.2012 , 23.07.2012 एवं दिनांक: 21.8.2012 के निर्देशानुसार निम्नांकित गैर सरकारी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं को उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र, शपथ पत्र, अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करने एवं निरीक्षण दल की रिपोर्ट के आधार पर निम्न शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र 2012–13 से उनके द्वारा संचालित किये जाने वाले विद्यालय को प्राथमिक स्तर की मान्यता का आशय पत्र जारी किया जाकर इस सत्र से कक्षा–5 तक विद्यालय संचालन करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। विद्यालय संचालन की सूचना एवं संलग्न प्रपत्र आवश्यक रूप से भर कर संबंधित ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आवश्यक रूप से जमा करवायेगें।

1. संस्था को राजस्थान गैर सरकारी संस्था अधिनियम 1989 एवं में वर्णित सभी प्रावधानो व मानदण्डों की पालना करनी होगी ,शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्क्रम के अनुसार ही शिक्षण कार्य करवाना होगा।
2. संस्था को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (केन्द्रीय अधिनियम ) और राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 के सभी उपबन्धों की शत प्रतिशत पालना करना अनिवार्य होगा।
3. प्रधानाध्यापक,शिक्षक एवं शारीरिक शिक्षक सभी प्रशिक्षित एवं निर्धारित योग्यताधारी हों। प्रतिमाह नामांकन,संस्थापन व अन्य सूचनायें उच्चाधिकारियों को प्रस्तुत करनी होगी।
4. संस्था को किसी प्रकार का अनुदान देय नहीं होगा।
5. संस्था का विद्यालय प्रारम्भ करने की सूचना इस कार्यालय ,संबंधित ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी ,प्रधानाचार्य डाइट सीकर व संयोजक जिला समान परीक्षा ,सीकर को अत्यावश्यक रूप से भिजवानी होगी । प्रतिवर्ष कीडा शुल्क नियमानुसार समय पर जमा करवाना होगा।
6. संस्था को सक्षम स्तर द्वारा जारी भवन प्रमाण पत्र प्रति वर्ष आवश्यक रूप से जिला शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में प्रस्तुत करना होगा।
7. विद्यालय में आवश्यक रूप से अग्निशमन यंत्र स्थापित करना होगा।
8. संस्था द्वारा विद्यालय संचालन नहीं करने पर मान्यता का आशय पत्र निरस्त समझा जावेगा।
9. विद्यालय के नाम,स्थान,भवन परिवर्तन सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना नहीं किया जा सकेगा।
10. राज्य सरकार एवं शिक्षा विभाग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों व नियमों की पालना नहीं करने एवं विद्यालय निरीक्षण के समय अनियमितता पायी जाने पर तत्काल प्रभाव से मान्यता का आशय पत्र निरस्त किया जा सकता है।

| क.स. | विद्यालय का नाम | माध्यम | ब्लॉक का नाम |
|---|---|---|---|
| 1 | सुपर ब्राईट ऐंजल्स पब्लिक स्कूल ,पलसाना | अंग्रेजी | पिपराली |
| 2 | स्टेमफोर्ड इन्टरनेशनल स्कूल ,कुडली बस स्टेण्ड के पास ,कुडली | अंग्रेजी | पिपराली |
| 3 | आइडियल एजुकेशन संस्थान ,पलसाना | अंग्रेजी | पिपराली |
| 4 | सेवा राम बाल निकेतन स्कूल ,पिपराली | अंग्रेजी | पिपराली |
| 5 | सेवा राम बाल निकेतन स्कूल ,पिपराली | हिन्दी | पिपराली |

29.XI.12
जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा,सीकर

President
Modern Techno Care Shiksha Samiti
Kudli, Sikar (Rajasthan)

क्रमांक:–जिशिअ/प्राशि/विधी/सी/मान्यता/12/ 1394

दिनांक:– 29.11.2012

प्रतिलिपि:–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ

1. श्रीमान निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान,बीकानेर।
2. श्रीमान् उप निदेशक जयपुर संभाग,जयपुर।
3. ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी समय–समय पर विद्यालयों का निरीक्षण कर विभागीय निर्देशों व शर्तो की पालना सुनिश्चित करवायेगें।
4. संबंधित संस्थाप्रधान/सचिव/अध्यक्ष स्टेमफोर्ड इन्टरनेशनल स्कूल, कुडली बस स्टैण्ड के पास, कुडली, पं.स. पिपराली
5. संयोजक एवं प्रधानाध्यापक ,जिला समान परीक्षा /कीडा प्रतियोगिता ,सीकर
6. संयोजक/सामान्य/शैक्षिक प्रकोष्ठ/सांख्यिकी /आर टी ई/संस्थापन शाखा कार्यालय ,सीकर
7. रक्षित पत्रावली।

Principal
Stemford International School
Kudli Stand, SIKAR

PRINCIPAL
Stemford International School
Nawalgarh Road Kudli, SIKAR
Aff. To CBSE New Delhi
Aff. No. 1731035

President
Modern Techno Care Shiksha Samiti
Kudli (Sikar)

28.XI.12
जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा,सीकर

Scanned by CamScanner

22

315